महत्वपूर्ण

फ़ाइल संख्या- 22022-1/2018-रा.भा.(विविध)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

दिनांक- 20.10.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय- डाक विभाग के सभी अनुभागों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों का पूर्ण अनुपालन किए जाने के संबंध में।

संघ की राजभाषा नीति के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-2021 में शामिल नियमों एवं अनुदेशों और लक्ष्यों के तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय का उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा विभाग के सभी अधिनियमों, नियमों एवं अनुदेशों का पूर्ण अनुपालन करें। इन नियमों में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) काफी महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। इस नियम के तहत निम्नलिखित दस्तावेज़ आते हैं जिनका द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अपेक्षित है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात					
क्रमांक	**मद का नाम (हिन्दी में)**	**मद का नाम (अँग्रेजी में)**	**क्रमांक**	**मद का नाम (हिन्दी में)**	**मद का नाम (अँग्रेजी में)**
1.	**सामान्य आदेश**	General Orders	8.	**करार**	Agreements
2.	**संकल्प**	Resolution	9.	**अनुज्ञप्तियां**	License
3.	**परिपत्र**	Circulars	10.	**निविदा प्रारुप**	Tender Forms
4.	**नियम**	Rules	11.	**अनुज्ञा पत्र**	Permits
5.	**प्रशासनिक या अन प्रतिवेदन**	Administrative or other reports	12.	**निविदा सूचनाएं**	Tender Notices
6.	**प्रेस विज्ञप्तियां**	Press Release/Communiques	13.	**अधिसूचनाएं**	Notifications
7.	**संविदाएं**	Contracts	14.	**संसद के समक्ष रखे जान वाले प्रतिवेदन तथा काग पत्र**	Reports and documents to be before the Parliament

उंपर्युक्त के दृष्टिगत सामान्य आदेश में निम्नलिखित बातें सम्मिलित है-

1. **ऐसे सभी आदेश, निर्णय अथवा अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों।**

2. ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, आदि (जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों)।

3. ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

2. इसके अतिरिक्त संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागज-पत्र, संसद के एक सदन में या दोनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट पूर्ण रूप से द्विभाषी रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।

3. उल्लेखनीय है कि डाक विभाग के समस्त अनुभागों को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का सख्ती से अनुपालन करने के लिए पूर्व में भी कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाते रहें हैं किंतु किन्तु खेद का विषय है कि इतना होने के पश्चात भी डाक विभाग के अधिकांश अनुभागों द्वारा अभी भी इस महत्वपूर्ण नियम का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

4. आपकी जानकारी के लिए इस नियम की अवहेलना करने की दशा में अनुभाग अधिकारी पर कार्यवाही संभव है और चूंकि इस मामले को संसदीय राजभाषा समिति काफी गंभीरता से लेती है अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी लापरवाही के कारण डाक विभाग के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो जाए।

5. इस बात का भी विशेष ध्यान रखे कि राजभाषा अधिनियम-1976 के नियम 6 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए गए हैं, द्विभाषी निष्पादित किए गए हैं या जारी किए गए हैं। चूंकि विभिन्न आरटीआई पत्रों के माध्यम से इस नियम के अनुपालन को लेकर जानकारी मांगी जाती है अतः प्रत्येक अनुभाग द्वारा इसका रिकॉर्ड भी रखा जाए।

सुनीता 19/10/2020

(सुनीता सिंह)

उप निदेशक (राजभाषा)

प्रति-

1. डाक विभाग के सभी उप महानिदेशकों/ सहायक महानिदेशकों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ अनुभागों में इस कार्यालय ज्ञापन में शामिल सभी मदों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

2. सहायक महानिदेशक (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को ई-ऑफिस पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

3. गार्ड फाइल।